

10.09.2025

10.09.2025

पत्रावली आज प्रार्थी वकील के प्रार्थना पत्र पर पेशी में ली गई। प्रार्थी द्वारा अपना मूल वादपत्र विद्धा कर लिया गया है। मूल वाद पत्र विद्धा होने के कारण प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। इसलिए अस्थाई निशेषाज्ञा को वर्तमान स्तर पर निरस्त खारिज किया जाकर उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. में वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Handwritten signature

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

